प्रचार – नीति

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा विभिन्न माध्यमों से किये जाने वाले प्रचार–प्रसार से संबंधित नीति निम्नानुसार है:–

1. प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में प्रचार–प्रसार बजट का मदवार आवंटन किया जाकर मध्यप्रदेश शासन से स्वीकृति प्राप्त की जाती है।
2. टी व्ही – विज्ञापन म.प्र. माध्यम के माध्यम से DAVP दरे पर प्रसारित किये जाते हैं।
3. रेडियो – विज्ञापन म.प्र. माध्यम के माध्यम से DAVP दरे पर प्रसारित किये जाते हैं।
4. डिजिटल – इम्पैनल्ड एजेंसी के माध्यम से डिजिटल प्रचार–प्रसार संपादित किया जाता है।
5. प्रिंट –
    1. देश एवं प्रदेश स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन म.प्र. माध्यम के माध्यम से प्रसारित कराये जाते है।
    2. स्थानीय लघु समाचार पत्रों/पत्रिकाओं जिनकी प्रचार संख्या 6 हजार से कम है और डी.ए.वी.पी. की सूची में नहीं है तथा उनका पंजीयन पांच वर्ष पुराना है को 5 हजार के औसत राशि का विज्ञापन दिया जाता है । विशेष अवसरों और विशेषांको के लिये इससे अधिक राशि का विज्ञापन दिये जाने के अधिकार का उपयोग प्रबंध निदेशक / कार्यपालिक निदेशक म.प्र. पर्यटन द्वारा किया जाता है।
    3. विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओ/संगठनों को स्मारिका के प्रकाशन हेतु प्रदर्शन देने के लिये संस्था का गठन/पंजीयन 5 वर्ष पुराना होना आवश्यक है। इन्हे अधिकतम रूपये 25 हजार का विज्ञापन म.प्र. पर्यटन निगम द्वारा दिया जाता है। जो कि वर्ष में 1 बार से अधिक नही होता।
    4. होर्डिंग एवं मुद्रण के कार्य अधिकृत एजेंसी के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।
    5. प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर की पत्र/पत्रिकाओं एवं अन्य माध्यमों को उनकी लोकप्रियता, प्रसारण संख्या एवं पर्यटन कवरेज देने के आधार पर विज्ञापन प्रदान किये जाते हैं जिसका पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक/कार्यपालिक निदेशक को है।

कार्यपालिक निदेशक (विपणन)

प्रबंध निदेशक